न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 21/2017

अपीलान्ट्स

भानाराम पुत्र हणुतराम जाति बिश्नोई निवासी–बालाजी नगर ग्राम गुडा बिश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

तहसीलदार,लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2017 जो तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2017 सरकार बनाम भानाराम में पारित।

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर शर्मा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक : 22.01.2018

यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2017 जो तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2017 सरकार बनाम भानाराम में पारित के विरूद्व पेश की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालाजी नगर, ग्राम गुढ़ा बिश्नोईयान तहसील लूणी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट कुछ शिकायतकर्ताओं के हस्ताक्षरसुदा इस आश्य की प्रस्तुत की गई कि ग्राम बालाजी नगर गुढ़ा बिश्नोईयान के खसरा नं 99/2 जो गैर मुमकिन रास्ता और अप्रार्थी ने सम्वत् 2074 के दौरान रकबा 0.03 बीघा पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया एवम बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही मनमानी से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर पंजीबद्व की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से तलब किया गया जो प्राप्त हो चुका है। उभय पक्ष

अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15.01.2018 को रखी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बालाजी नगर, ग्राम गुढ़ा बिश्नोईयान तहसील लूणी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट कुछ शिकायतकर्ताओं के हस्ताक्षरसुदा इस आश्य की प्रस्तुत की गई कि ग्राम बालाजी नगर गुढ़ा बिश्नोईयान के खसरा नं 99/2 जो गैर मुमकिन रास्ता और अप्रार्थी ने सम्वत् 2074 के दौरान रकबा 0.03 बीघा पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया एवम बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही मनमानी से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 विधि विरूद्व जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवम दस्तावेज के विपरित पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व जाकर निर्धारित फार्म पर हस्ताक्षर करके अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबिले निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नं 99 व 99/2 अलग अलग खसरे है जिसमें कौन से खसरे में गैर मुमकिन रास्ता है कि जमाबंदी नकल भी पत्रावली पर हल्का पटवारी ने प्रस्तुत नहीं कि और न ही तहसीलदार लूणी ने जमाबंदी तलब की और अधीनस्थ्य न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिया। इस नोटिस में तारीख पेशी दिनांक 09.05.2017 उल्लेखित थी तथा अपीलार्थी अपने अधिवक्ता के मार्फत उक्त तारीख पेशी को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था जो अधिवक्ता दिवाकर शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 16.05.2017 मुकर्रर की गई। तत्पश्चात् दिनांक 16.05.2017 को पत्रावली राजस्व केम्प कोर्ट शिकारपुरा में पेश हुई जिसकी सूचना अपीलार्थी अभिभाषक को नहीं दी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य किसी अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाते हुए प्रकरण दिनांक 31.05.2017 को केम्प कोर्ट गुढ़ा बिश्नोईयान में पेश होने के लिये तारीख निश्चित कर दी तथा दिनांक 31.05.2017 को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य होना बताया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के द्वारा सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करवायी न ही किसी प्रकार का मौका नक्शा बनवाया गया न ही किसी प्रकार का सीमांकन करके यह तय किया गया कि सरकारी भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता है पर अतिक्रमण किसका है। अपीलार्थी अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय से यह भी निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन करवाया जावे जो नहीं करवाया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 का निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के अनुसार ही पारित किया गया है जो सरकारी भूमि पर बढ़ते हुए अतिक्रमण को रोकने के लिए पारित किया है वह कानूनन सही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमनें उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 प्रकरण संख्या 26/2017 का भी अध्ययन किया एवम पत्रावली का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि पटवारी हल्का गुढ़ा बिश्नोईयान द्वारा सम्वत् 2074 ग्राम श्रीबालाजी नगर के खसरा नं 99/2 में 0.03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार लूणी ने प्रकरण दर्ज कर नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई और अपीलार्थी (अप्रार्थी) को विधिवत नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी (अप्रार्थी) की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा ने दिनांक 09.05.2017 को उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया और तारीख पेशी दिनांक 16.05.2017 नियत की गई। दिनांक 16.05.2017 को उक्त पत्रावली केम्प कोर्ट शिकारपुरा में पेश हुई। उक्त केम्प कोर्ट दिनांक 16.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम में यह अंकित किया है कि ''अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। समय चाहा गया जो अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 31.05.2017 केम्प कोर्ट गुढा बिश्नोईयान पेश हो।'' दिनांक 31.05.2017 को केम्प कोर्ट गुढा बिश्नोईयान में प्रार्थी व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे व केम्प कोर्ट समय तक उपस्थित नहीं होने के कारण तहसीलदार लूणी ने अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया गया व जुर्माना राशि भी आरोपित की गई। इसके पश्चात् अप्रार्थी अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 पी.सी. का तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 7.7.2017 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण तहसीलदार लूणी द्वारा 7.7.2017 को ही कर दिया गया।

इस प्रकरण में अप्रार्थी ओमाराम पुत्र स्व0 सुरजाराम विश्नोई निवासी बालाजी नगर गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश न0 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का अपने अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार,सिद्धार्थ परिहार के मार्फत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में प्रार्थी को भी पक्षकार बनाया जावे। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थी का इस विवाद ग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई हित नहीं है न ही इस प्रकरण में निर्णय का प्रतिकुल प्रभाव प्रार्थी पर पडेगा। अतः प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का एतद निरस्त किया जाता है।

आदेश

हमारी विनम्र मतानुसार तहसीलदार लूणी के द्वारा एल0आर0 एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 26/2017 जो निर्णय दिनांक 31.05.2017 को पारित किया गया है, इस निर्णय में हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते है। तहसीलदार लूणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जाता है साथ ही तहसीलदार लूणी को यह निर्देश है कि वह विवादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटाने से पूर्व विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन करवाकर और सरकारी भूमि पर पर किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही अपने स्तर पर सुनिश्चित करे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22 .01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर